कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/स्थानान्तरण/यो–2 दिनांक 25.09.2021 द्वारा श्रीमती उर्वशी शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि शिवबाडी, बीकानेर का स्थानान्तरण राठी राउमावि नोखा जिला बीकानेर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध उर्वशी शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4905/2021 उर्वशी शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 का क्रियान्वयन याचिकार्थी उर्वशी शर्मा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में उर्वशी शर्मा राउमावि शिवबाडी, बीकानेर में प्रधानाचार्य पद पर माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन पूर्ववत कार्यरत रहेंगी एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्रीमती पदमा टिलवानी, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के रिक्त पद पर किया जाता है।

(कानाराम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/उर्वशी/4905/2021/269 दिनांकः 20/1/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

20/1/22
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)